महत्वपूर्ण

संख्या– 1075/नौ–9–2021–30ज/19

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2021**

विषय–नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में वृक्षारोपण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त शासनादेश संख्या–368/नौ–9–2021–30ज/19 दिनांक–19.02.2021 एवं तदक्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप–460/नौ–9–2021–30ज/19 दिनांक–08.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति अन्य के अतिरिक्त आपको भी प्रेषित करते हुए वर्ष 2021–22 में नगर विकास विभाग अन्तर्गत 30 लाख पौधो के रोपण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. उपरोक्त निर्गत निर्देशों के क्रम में लक्ष्य प्राप्ति हेतु निकाय अन्तर्गत अभियान चलाते हुए ससमय समस्त तैयारियां सुनिश्चित करने के साथ–साथ विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं का ध्यान अवश्य रखा जाये :–

1. वृक्षारोपण हेतु आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर लिया जाये तथा उसे ऑनलाइन अपलोड किया जाये। प्रत्येक विभाग अपनी कार्य योजना के अनुसार पौधशालाओं का चिन्हीकरण करते हुए पौधशाला से वृक्षारोपण स्थल तक पौध ढुलान का रूटमैप तैयार कर जिला वृक्षारोपण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

2. पौध रोपण हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक प्रजातिवार पौध आपूर्ति मांग पत्र सम्बन्धित जनपद के प्रभागी वनाधिकारी को प्रत्येक दशा में 15 जून, 2021 तक उपलब्ध करा दिया जाये।

3. वृक्षारोपण स्थलों पर पौधशालाओं से प्राप्त पौधों को सुरक्षित रखने हेतु छायादार उपयुक्त स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये एवं पौधशालाओं से पौध प्राप्त करने से पूर्व रोपण स्थल पर पौधों की सुरक्षा हेतु एक कर्मी नामित करते हुए उसका नाम एवं मोबाइल नं0 क्षेत्र के वृक्षारोपण प्रभारी को उपलब्ध कराया जाये। पौध ढुलान हेतु निर्धारित रूटमैप के अनुसार वाहन एवं श्रमिको की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाये।

4. **स्थल चिन्हांकन/अग्रिम मृदाकार्य**– वृक्षारोपण हेतु निकायों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप समुचित एवं उपयुक्त स्थल के चिन्हांकन के साथ–साथ विशेष रूप से एसटीपी/गोवंश संरक्षण स्थल/डम्प साइट/अपशिष्ट प्रोसेसिंग स्थल के ईद–गिर्द ग्रीन फेन्सिंग कराये जाने के उद्देश्य से भी वृक्षारोपण कराया जाये। ग्रीन स्पेस/पार्क एवं निकाय अन्तर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के दृष्टिगत हरित क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु उपयुक्त स्थलों का समय से चिन्हांकन करने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। उपयुक्त चिन्हांकित स्थल पर अग्रिम मृदा कार्य और गुणवत्ता पूर्ण किस्म के पौधों

(प्रजातिवार चिन्हांकन–फलदार और छायादार वृक्षों को प्राथमिकता दी जाये) की व्यवस्था ससमय अवश्य सुनिश्चित कर ली जाये। रोपित किये जा रहे वृक्षों की सुरक्षा तथा वृक्षों की उत्तरजीविता (Survival) हेतु समुचित व्यवस्था कार्य योजना में अवश्य सुनिश्चित की जाये।

5. **मीडिया प्लान**– वृक्षारोपण अभियान को निकायान्तर्गत जन आन्दोलन के रूप में क्रियान्वित किये जाने हेतु समुचित प्रसार–प्रचार किया जाये और अधिक से अधिक स्थानीय निवासियों को "एक व्यक्ति एक वृक्ष" की अवधारणा से जोड़ा जाये। इस अभियान में स्थानीय निवासियों के साथ–साथ सामाजिक संस्थाओं/रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि को सक्रिय रूप से जोड़े जाने हेतु समन्वय करते हुए पूर्व से ही तैयारी सुनिश्चित कर ली जाये।
6. **अनुश्रवण**– स्थानीय निकायों द्वारा किये जा रहें वृक्षारोपण अभियान को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों का अनुश्रवण भली–भांति सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का होगा।
7. **रख–रखाव**– वृक्षारोपण अभियान में वृक्षों की सुरक्षा/रख–रखाव पर विशेष बल दिया जाये, क्योंकि रोपण से अधिक महत्वपूर्ण वृक्षों की सुरक्षा का कार्य है, कराये जा रहे वृक्षारोपण कार्य का स्थलीय सत्यापन निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और लक्ष्य की प्राप्ति ससमय सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल की जियो टैगिंग का कार्य सम्बन्धित निकायों द्वारा कराया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त निकायों के साथ समन्वय करते हुए विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय नोडल अधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

GO-s